

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

१. आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।
३. अध्यक्ष,
समस्त विशेष विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।

२. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ०प्र०।
४. नियंत्रक अधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ०प्र०।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-१

लखनऊ : दिनांक: १९ जनवरी, २०२३

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "वरीयता नीति" की व्यवस्था से संबंधित शासनादेश दिनांक ११.०७.२०१८ में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "वरीयता नीति" की व्यवस्था से संबंधित शासनादेश संख्या-१०२२/आठ-१-१८-९३विविध/२०१८ दिनांक ११.०७.२०१८ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) में भारत सरकार की गाइडलाइन के क्रम में वरीयता निर्धारित की गयी है।

२- विभागीय समीक्षा बैठक में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में 'वरीयता नीति' की व्यवस्था संबंधी शासनादेश दिनांक-११.०७.२०१८ के इस बिन्दु को स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया कि उक्त शासनादेश में जो श्रेणीवार वरीयता निर्धारित की गयी है संबंधित श्रेणी के पात्र लाभार्थियों की अनुपलब्धता में क्या भवनों को अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को आवंटित किया जा सकता है?

३- प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक ११.०७.२०१८ में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) में भारत सरकार की गाइडलाइन के क्रम में वरीयता निर्धारित की गयी है, जिससे सभी श्रेणी को लाभ मिल सके। यदि पर्याप्त अवसर (न्यूनतम ०३ अवसर) प्रदान किये जाने के बाद भी किसी श्रेणी

के पात्र लाभार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटित किये जाने पर कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है, जिससे कि निर्मित भवन अप्रयुक्त न रह जाए।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्णय को लागू करने की कष्ट करें।

भवदीय,

(नितिन रमेश गोकर्ण)

प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) प्रमुख स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन को इस आशय के साथ कि कृपया अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (6) निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त संबंधित को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- (7) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
- (8) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

17.1.2023

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)

उप सचिव।